

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० बाद संख्या ...१२.२./2020

12/10/20
14/12/20
6/1/21

प्रथम पक्ष :- 1. गिरीबाला देवी पति काली पद महतो, सा० भलसुन्दा थाना चास, 2. दीपक कुमार पिता राम स्वरूप प्रसाद सा० रोक्टर 3/वी० कवा० नं० 219 थाना बी०एस०सिटी जिला बोकारो।

:- बनाम् :-

द्वितीय पक्ष :- 1. दीनानाथ प्रसाद पिता स्व० धुगन राम सा० वैष्णवी कम्पलेकरा, ब्लॉक सी० चीरा चास, 2. संजीव कुमार सिंह पिता स्व० सच्चिदानन्द सिंह सा० रोक्टर 4/जी, कवा० नं० 3152, थाना बी०एस०सिटी जिला बोकारो।

कार्यवाही

चास, थाना अप्राथमिकी संख्या 05/2020 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चास थाना से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

विवादित भूमि का विवरण:-

राजस्व ग्राम/मौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)
चास	चास	456	998	15 डी०

चौहद्दी

उत्तर- एस०एन०सिंह का बाउण्ड्रीवाल के अन्दर खाली जमीन,

दक्षिण- एस०एन०सिंह का खाली पड़ती जमीन,

पूर्व- अरविन्द कुमार का खली जमीन के बाद प्लॉट नं० 999,

पश्चिम- कच्चा सड़क के बाद बसंत सोरेन का अर्ध निर्मित मकान,

अतः सम्यक विचारोपरान्त द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 10/9/20 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

10/9/2020 सूचना का तमिलना प्राप्त।
द्वितीय पक्ष के द्वारा पुनर्स्थापित हेतु
समय का आवेदन है।
प्रथम पक्ष के ओर से 10/9/2020 हेतु समय
का आवेदन है।
दिनांक 21/9/2020 को रखे।

S.D.M

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एस०पी० चास संख्या ...1.2.2./2020

12/10/20
14/12/20
6/1/21

प्रथम पक्ष :- 1. गिरीबाला देवी पति काली पद महतो, सा० गलरुन्दा थाना चास, 2. दीपक कुमार पिता राम स्वरुप प्रसाद सा० रोक्टर 3/वी० क्वा० नं० 219 थाना बी०एस०सिटी जिला बोकारो।

:- बंभाग :-

द्वितीय पक्ष :- 1. दीनानाथ प्रसाद पिता स्व० धुमान राम सा० वैष्णवी कम्पलेकरा, ब्लॉक सी० चीरा चास, 2. संजीव कुमार सिंह पिता स्व० सच्चिदानन्द सिंह सा० रोक्टर 4/जी, क्वा० नं० 3152, थाना बी०एस०सिटी जिला बोकारो।

कार्यवाही

चास, थाना अप्राथमिकी संख्या 05/2020 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चास थाना से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

विवादित भूमि का विवरण:-

राजस्व ग्राम/मौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)
चास	चास	456	998	15 डी०

चौहद्दी

उत्तर- एस०एन०सिंह का बाउण्ड्रीवाल के अन्दर खाली जमीन,
दक्षिण- एस०एन०सिंह का खाली पड़ती जमीन,
पूर्व- अरविन्द कुमार का खली जमीन के बाद प्लॉट नं० 999,
पश्चिम- कच्चा सड़क के बाद बसंत सोरेन का अर्ध निर्मित मकान,

अतः सम्यक विचारोपरान्त द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 10/9/20 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

10/9/2020 सूचना का तामिला प्राप्त।
द्वितीय पक्ष के द्वारा 10/9/2020 को
समय का आवेदन है।
प्रथम पक्ष के ओर से 10/9/2020 को
का आवेदन है।
दिनांक 21/9/2020 को ररर
S.D.M

21/9/20 प्रथम पक्ष के हाजिरी है
द्वितीय पक्ष के अकालत हाजिरी है
दिनांक 12/10/2020 को करें

S.D.M
Chas

12/10/2020

1st party absent

2nd party.

Put up co char report

Ready to continue on 14/11/20

S/-
12/10/20

14/12/2020

Sec 144 is time bound in nature. The present
case has started for more than two months
case is dropped.

S/-
14/12/2020

12/12/20
13/12/20